210

संख्या–366/XVIII(II)/2013–18(31)2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2013

विषयः–जनपद चम्पावत में न्याय विभाग के आवासीय भवनों की स्थापना हेतु 10 नाली (0.200 है0) भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3860/सात–भू0आ0/2012 दि0–31.07.2012 एवं अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–2819/रा0प0–012 दि0–23.8.2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनपद चम्पावत में न्याय विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम चम्पावत, तहसील चम्पावत के गैर ज0वि0 खाता संख्या–327 के खेत संख्या–83 मध्ये 10 नाली (0.200 है0) भूमि जो श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आबाद दर्ज एवं राज्य सरकार के स्वामित्व की है, को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन न्याय विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

.....2

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या– /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5– मा0 जिला न्यायाधीश, चम्पावत।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।